

<p>15.</p>	<p>सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की शिशिष्टियाँ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोग उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।</p>	<p>1- पुस्तकालय</p> <p>1- यह संस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये शोध एवं प्रशिक्षण का कार्य करता है इस संस्थान का पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी की श्रेणी में आने वाला पुस्तकालय है।</p> <p>2- पुस्तकालय का कार्य दिवस प्रातः 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे है।</p> <p>3- संस्थान के पुस्तकालय में जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं निर्बल वर्ग से संबंधित व्यक्तियों/विषयों पर पुस्तकों का संग्रह है।</p> <p>4- समाज शास्त्र, समाज कार्य, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र (सोसल साइंस) से विषयों पर पुस्तकें हैं।</p> <p>5- रिफरेन्स बुक्स, इनसाईक्लीडियों, शब्द कोष, जेरिपर्स एवं जनगणना पर पुस्तकों का संग्रह है।</p> <p>6- इस संस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों पर शोध एवं प्रशिक्षण कार्य होता है। अतः पुस्तकालय में संस्थान द्वारा किये गये शोध, मूल्यांकन/अध्ययनों का संग्रह है।</p> <p>7- प्रबन्ध, लोक प्रशासन, इतिहास, हिन्दी साहित्य एवं अंग्रेजी साहित्य पर पुस्तकें हैं।</p> <p>.....</p> <p>2- नाटक/नुक्कड़ शून्य</p> <p>3- अखबारों के द्वारा- शून्य</p> <p>4- प्रदर्शनी शून्य</p> <p>5- सूचना पटल- शून्य</p> <p>6- अभिलेखों का निरीक्षण शून्य</p> <p>7- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की व्यवस्था शून्य</p> <p>8- उपलब्ध विभागीय मैनुवल शून्य</p> <p>9- लोक प्राधिकरण की वेबसाइट http://rti.gov.in</p> <p>10- अन्य प्रचार प्रसार के साधन -</p>
------------	---	---